कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 05.08.2026

🔷 **थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा 25000/-रुपए का इनामिया 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

🔷 **अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध असलहा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर एवं पिकअप वाहन बरामद**

🔷 **गौ-तस्करों से 01 वर्ष में करीब 59 लाख रुपये के संदिग्ध वित्तीय लेन-देन का खुलासा।**

🔷 **31 लोगो का एक संगठित गिरोह है, जो गो-तस्करी का कार्य करता है। उक्त संगठित गिरोह द्वारा 187 करोड़ का आपसी लेन-देन किया गया है।**

🔷 **बैंक विवरण के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त द्वारा संगठित अन्तर्राज्यीय गो-तस्करी नेटवर्क को आर्थिक सहायता पहुंचायी जा रही है।**

🔷 **गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न जनपदों में गोवध निवारण अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट एवं आर्म्स एक्ट सहित कुल 06 अभियोग पंजीकृत**

🔷 **गिरफ्तार अभियुक्त 02 अभियोग में वांछित था जिसे आज पुलिस टीम द्वारा अवैध असलहा व कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार।**

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में गठित टीम थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र थाना सैयदराजा व सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि0 आशीष मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना सैयदराजा व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 308/2025 धारा 109/111(2)/111(3) बीएनएस, मु0अ0सं0 185/2026 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 25000/- रुपए का इनामिया व वांछित अभियुक्त गुलाम मोहम्मद उर्फ सोनू पुत्र अल्ताफ खान निवासी ग्राम भटानी, थाना चाँद, जनपद कैमूर भभुआ, बिहार के सम्बन्ध में इलेक्ट्रानिक व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर सूचना प्राप्त हुई। पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान उक्त वाहन को जेठमलपुर सैयदराजा के पास घेराबन्दी कर रोकने का प्रयास किया गया परन्तु वाहन चालक

और तेज गति से गाडी को भगाते हुए ग्राम सवैया पट्टीदारी मे निर्माणाधीन भारत माला एक्सप्रेसवे की तरफ वाहन को मोडकर भागने लगा तत्काल चौकी प्रभारी धरौली को अवगत कराया गया जो आगे की तरफ से निर्माणाधीन भारत माला एक्स प्रेस-वे ग्राम मैढी के समीप स्थित कर्मनाशा पुल के पास पहुँचकर घेराबन्दी की गयी वाहन चालक गाडी रोककर उतरकर भागने का प्रयास किया गया कि पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दीकर पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान गुलाम मोहम्मद उर्फ सोनू पुत्र अल्ताफ खान निवासी ग्राम भटानी थाना चाँद जिला कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 24 वर्ष के रुप में हुई। जिसके कब्जें से 01 अवैध असलहा 0.315 बोर व 01 जिन्दा कारतुस 315 बोर व पिकअप वाहन सं0 BR 24 GD 8209 को किया गया बरामद।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 241/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>पृष्टि भूमि-</u>

दिनांक 09.10.2025 को थाना सैयदराजा चन्दौली पर मु0अ0सं0 308/2025 धारा 109 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचना के क्रम में ज्ञात हुआ कि यह 31 लोगो का एक संगठित गिरोह है, जो गो-तस्करी का कार्य करता है। विवेचना के क्रम में धारा 111(2)/111(3) बीएनएस की मुकदमा उपरोक्त में बढोत्तरी की गई। उक्त संगठित गिरोह द्वारा 187 करोड़ का आपसी लेन-देन किया गया है। विवेचना से दिनांक 16.07.2026 को मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त गुलाम मोहम्मद उर्फ सोनू पुत्र अल्ताफ खान निवासी ग्राम भटानी थाना चाँद जिला कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 24 वर्ष का नाम प्रकाश में आया। विवेचना से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त गुलाम मोहम्मद उर्फ सोनू उपरोक्त की एक मोबाइल/ हार्ड वेयर शॉप है। अभियुक्त द्वारा अपनी मां के बैंक खाता से कुल 59,82,000 रुपया स्थानान्तरण किया गया। जिसमें मेराज कुरैशी, मो0 आकिब खान, नूर मोहम्मद कुरैशी, नेसार कुरैशी, शाहिद, मो0 अफजल आदि अन्य लोगो को गौ-तस्करो से सम्बन्धित लेन-देन करीब 59,82,000 रुपया किया गया है।

<u>पूछताछ विवरण-</u>

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मै सबसे पहले नशीम शाह निवासी चैनपुर की गाड़ी चलाता था। उसके बाद मै मुलायम यादव, तस्लीम कुरैशी व सरफरोज के सम्पर्क में आया तो मै इनके लिए गो-तस्करी का कार्य करने लगा। जब इन लोगो के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाने लगी तो मै नाटे निवासी सिरसी राज्य बिहार के लिए कार्य करने लगा। गोवेश तस्करी के लिए मैने अपने बहनोइ

शाहिद के पिकअप वाहन का इस्तेमाल करता था मिर्जापुर के थाना चुनार में मेरे बहनोइ का गाड़ी जब पकड़ा गई तो मै सुशान्त उर्फ अनुमोल सिंह निवासी बड़ा गांव से एक नई पिकअप खरीदवा कर उससे गोवंश की तस्करी करने लगा जिस दिन सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा सुशांत सिंह की गोवंश लदी पिकअप पकड़ी गई उस दिन मै ही वाहन चला रहा था पुलिस घेराबन्दी देख वाहन छोड़कर भाग गया था उसके बाद मैने आसिफ खान निवासी सासाराम से पिकअप वाहन खरीदवाया जिससे मै गो-तस्करी कर रहा था आज भी गोवेश लादने के लिए वाराणसी जा रहा था कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया। मेरा कोई बैंक एकाउन्ट नही है, मै अपनी मां के बैंक खाते में लेन-देन करता था जब मुझे ज्ञात हुआ कि पुलिस द्वारा खाता को चेक किया जा रहा है तो मै कैश लेकर कार्य करने लगा। मैंने यह अवैध असलहा और कारतूस अपनी सुरक्षा के लिए रखा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

गुलाम मोहम्मद उर्फ सोनू पुत्र अल्ताफ खान निवासी ग्राम भटानी, थाना चाँद, जनपद कैमूर भभुआ, बिहार

आपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं. 308/2025 धारा 109/111(2)/111(3) बीएनएस थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

2.मु.अ.सं. 185/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि. अधिनियम व 11 पशु क्रूरता नि. अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

3.मु.अ.सं. 241/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

4.मु.अ.सं. 110/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध नि. अधिनियम व 11 पशु क्रूरता नि. थाना चुनार जनपद मिर्जापुर

5.मु.अ.सं. 119/2023 धारा 3(1) यू.पी. गैगेस्टर एक्ट थाना बबुरी जनपद चन्दौली

6.मु.अ.सं.15/2023 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि. अधिनियम व 11 पशु क्रूरता नि. अधिनियम व 429 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बबुरी जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

उप निरीक्षक राजीव मल्ल एसएसटी चन्दौली

आरक्षी शंकर प्रसाद थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

आरक्षी अशुन कुमार थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

रि0म0का0 नेहा देवी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

सर्विलांस टीम-

सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि0 आशीष मिश्रा मय टीम

हे0का0 प्रेम प्रकाश यादव

का0 नीरज कुमार मिश्रा

का0 अजीत कुमार सिंह